प्रेस नोट

एक मतदान केन्द्र के व्हीव्हीपीएटी की स्लिपों की गणना कर अनिवार्य सत्यापन

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र का चुनाव रेण्डम आधार किया जाकर, उस मतदान केन्द्र में उपयोग हुए व्हीव्हीपीएटी की स्लिपों का मिलान ईव्हीएम के कन्ट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम से अनिवार्यतः किया जावेगा। यह कार्य अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ता एवं केन्द्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति में होगा।

मतगणना हॉल के अन्दर ही व्हीव्हीपीएटी की स्लिप से अनिवार्य सत्यापन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस मतगणना हेतु व्हीव्हीपीएटी काउंटिंग बूथ का निर्माण जिसमें जालीनुमा कवरेज होगा, जैसा की बैंक के कैशियर का होता है जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति की पहुंच व्हीव्हीपीएटी की स्लिप तक न हो, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्व सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी जावेगी। इस व्हीव्हीपीएटी अनिवार्य सत्यापन हेतु विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रो के नम्बर सफेद कागज पर एक गुणा एक इंच में मुद्रित कर कन्टेनर में लाटॅ निकालने हेतु डाला जाएगा। इसके पश्चात् कन्टेनर को हिलाते हुए पर्चियों को मिक्स किया जावेगा, तत्पश्चात एक पर्ची निकालकर मतदान केन्द्र का रेण्डम चयन होगा। यह कार्य ईव्हीएम से गणना के अंतिम राउण्ड के तत्काल पश्चात् किया जावेगा। यह कार्य केन्द्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति एवं कड़ी निगरानी में होगा। इसकी वीडियोग्राफी कराई जावेगी। परिणाम घोषणा के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा व्हीव्हीपीएटी की स्लिप की गणना पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम से मिलान कर एक सत्यापन पत्रक जारी किया जावेगा।